

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार
ऑफ़िस कार्यालय, (उत्तर)
लखनऊ - 226010

दूरभाष संख्या : 0522- 4087600

फैक्स संख्या : 0522-4087602

जेड.ओ.एल./प्रशा./01/खण्ड VIII/ 885-895
सेवा में,

दिनांक 09.01.2014

13.01.2014

संलग्नक के अनुसार

कोटेशन आमंत्रण सूचना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑफ़िस कार्यालय (उत्तर), लखनऊ द्वारा कम्प्यूटर प्रिंटर के लिए टोनर कार्ट्रिज हेतु लिमिटेड कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं -

Description for Toner Cartridges

Sl. No.	Description for Toner Cartridges	Qty.
1.	HP Laser Jet P-1007	07 Nos.
2.	HP Laser Jet 6 L pro	01 No.
3.	HP Laser Jet Printer P1505	02 Nos.
4.	HP LaserJet printer 3015	02 Nos.
5.	HP Laser Jet 1150	01 No.
6.	HP Colour Laser Jet CP 1515n (Cyan, Yellow & Magenta Print Cartridge CB 541 A, CB 542 A, CB 543 A	1+1+1 03 Nos.
7.	HP Laser jet (Black) 540 A	01 No.


इस संबंध में **नियम व शर्तें** निम्नानुसार हैं-

- कोटेशन इस कार्यालय में दिनांक 10.02.2014 तक या इससे पूर्व पहुँच जानी चाहिए अन्यथा कोटेशन निरस्त की जा सकती है।
- कोटेशन को लिफाफे में अच्छी तरह मुहरबंद करें तथा कोटेशन क्रमांक जेड.ओ. एल./प्रशासन/01/खण्ड- VIII/ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट लिखा हो। कोटेशन को डाक द्वारा

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑफिस कार्यालय (उत्तर), पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को प्रेषित करने या कार्यालय में रखे कोटेशन बॉक्स में डाले जाने की सलाह दी जाती है।

03. बोर्ड एक या सभी कोटेशन को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कोटेशन खोले जाने की तिथि को भी बिना कोई कारण बताए स्थगित किया जा सकता है।
04. कोटेशन पर सुधार या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। गलती यदि हो जाए तो उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाए।
05. दर शब्दों एवं अक्षरों दोनों में लिखा जाए। दोनों में विषमता की स्थिति में शब्दों में लिखें दर को सही एवं अन्तिम माना जायेगा।
06. दिए गए दर पैकिंग लोडिंग तथा अनलोडिंग इत्यादि को शामिल करके होना चाहिए। विक्रय कर या व्यापार कर यदि लागू हो तो उसकी दर अलग से दी जाए। कृपया रजिस्ट्रेशन नं. यू.पी.एस.टी./सी.एस.टी. नं. से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख साथ लगाएं।
07. निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त किसी भी कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
08. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
09. टाइपिंग या लिपिकीय गलतियों में सुधार किया जा सकता है।


नोट : कृपया अपनी कोटेशन को अच्छी तरह मुहरबंद इत्यादि करके भेजें अन्यथा कोटेशन को निरस्त किया जा सकता है।


(गोविन्द भगत)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. प्रभारी, आई टी डिवीजन, मुख्यालय, दिल्ली
2. कार्यालय प्रति, ऑ. कार्या. लखनऊ

- कृपया बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु


अनुभाग अधिकारी